

न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- अमीलाल मीणा

नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का रघुनाथपुरा,

बनाम

श्री रामधन पुत्र हणमान जाति जाट निवासी धोलाखेड़ा

तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

अर्तगत धारा 91 राज0 भू, राजस्व अधिनियम, 1956

08 ✓

:-निर्णय:-


प्रकरण संख्या:- 08/2021

दिनांक 16.02.2021

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का रघुनाथपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत् 2077 में मौजा ग्राम धोलाखेड़ा के हाल भूमि खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 42.27 है0 किस्म बंजड़ जोहड़ 41.42 है0 व गै0 मु0 आबादी 0.85 है0 में से 0.05 है0 सरकारी भूमि पर श्री रामधन पुत्र हणमान जाति जाट निवासी धोलाखेड़ा ने अनाधिकृत रूप से तार की बाड़ लगा कर अतिक्रमण किया है। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहा है। अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी उक्त सरकारी भूमि वाके ग्राम धोलाखेड़ा के हाल भूमि खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 42.27 है0 किस्म बंजड़ जोहड़ 41.42 है0 व गै0 मु0 आबादी 0.85 है0 में से 0.05 है0 भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बंध में किसी प्रकार का कदीमी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है, बावजूद तामील अनुपस्थित रहा है।

पृ. सं. 1


तहसीलदार
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

कृ. पृ. उ.

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश

वाके ग्राम धोलाखेड़ा के हाल भूमि खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 42.27 है० किस्म बंजड़ जोहड़ 41.42 है० व गै० मु० आबादी 0.85 है० में से 0.05 है० सरकारी भूमि पर से श्री रामधन पुत्र हणमान जाति जाट निवासी धोलाखेड़ा को वेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.05 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 3/- रुपये (अक्षरे रू तीन मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से वेदखल कर रिपोर्ट वेदखली पेश करें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

(अमीलाल मीणा)

ना. तहसील तहसीलदार उदयपुरवाटी
उदयपुरवाटी (झुन्डु)

पृ. सं. 2

2020-21
35

123

मिणा